हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल -II के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 03/2016

भाग–एक

1 प्रस्तावना

निदेशक स्थानीय लेखा प्ररीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम 2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच. एस.जी.-4(डी) 1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया हैं। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-II जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2016 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान श्री संदीप सेन, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण /संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल -II के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं.	राशि (₹) लाखों में
1	स्टाफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष।	4(क)	0.83
2	विविध अग्रिम समायोजन हेतु शेष।	4(ख)	26.79
3	जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष	5(क)	9.21
4	रख रखाव प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष ।	5(ख)	40.02
5	संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों का दिनांक 31.03.2015 को डेबिट पाये जाने के कारण, संविदाकारों को जमा धरोहर/प्रतिभूति से अधिक भुगतान	6	2.98
6	7mm thick Steel Plate हेतु गलत conversion Factor लिए जाने के कारण अनुबन्ध की मद संख्या 31 i.e “Steel Work Welded” के संदर्भ में संविदाकार को अधिक भुगतान किए जाने बारे ।	8(i)	0.91

7	अनुबन्ध की मद संख्या 52 i.e "Demoliation of brick work above Ground Level" की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 10 i.e "Half Brick Massonary" की मात्रा का अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	8(ii)	0.55
8	अनुबन्ध की मद संख्या 50 .1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness" की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 5 i.e "CC 1:4:8" की मात्रा का अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	8(iii)	0.45
9	अनुबन्ध की मद संख्या 50 .1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness" की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 41 i.e "15mm Cement Plaster" की मात्रा का अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान।	8(iv)	0.02
10	अनुबन्ध की मद संख्या 56 i.e "Dismentling Doors, Windows" की measurement unit गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ।	8(v)	0.44
11	10 cc दावे के रूप में संविदाकार को अधिक भुगतान।	9	0.72
12	अतिरिक्त मदों (Extra Items) के मूल्य का अधिक निर्धारण किए जाने के कारण संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना।	10(i)	0.04
13	RD की गलत गणना के कारण संविदाकार को अनियमित भुगतान।	11(i)	0.16
14	अनुबन्ध की मद संख्या 31.1 i.e. P & L in trenches Cast Spun Iron Pipes 100mm Dia की भुगतान दर अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान।	11(ii)	0.10
15	Approved Drawing की तुलना में Window-2 की अधिक मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को अनुबंध की मद संख्या 42(B) i.e Prov. Pressed Steel Door/Window (Profile B) हेतु अधिक भुगतान।	12(i)	0.09
16	सेवा कर से संबन्धित राशि को Custom & Central Excise Deptt. में समय पर जमा न करवाया जाना ।	13	45.24
17	नियमों की अवहेलना करके संविदाकार/ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम प्रदान किए जाने के कारण अनुचित लाभ प्रदान करना	14	8.13
18	संविदाकार/ठेकेदार की कालातीत हो चुकी प्रतिभूति की राशि को जब्त न किया जाने के कारण निर्माण मण्डल को हानि	16	0.16

19	वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर.आर. मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को अधिक भुगतान	17	0.30
20	संविदाकार के खाता बहियों को जारी किए गए सीमेन्ट के मूल्य से डेबिट न किया जाना।	22	0.17
21	परिवार नियोजन भत्ते के रूप में अनियमित भुगतान	24	0.08
22	यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान।	25	0.10

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई हैं । वर्ष 04/88 से 03/2015 तक मण्डल से संबन्धित **62** पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र.सं.	**वर्ष**	**शेष पैरो की सं.**
1	04/2003 to 03/2004	2
2	04/2004 to 03/2005	1
3	04/2005 to 03/2006	6
4	04/2006 to 03/2007	1
5	04/2007 to 03/2008	1
6	04/2011 to 03/2012	1
7	04/2012 to 03/2013	4
8	04/2013 to 03/2014	1
9	04/2014 to 03/2015	6
10	04/1988 to 03/1989	2
11	04/1989 to 03/1990	1
12	04/1990 to 03/1991	2
13	04/1991 to 03/1992	1
14	04/1992 to 03/1993	1
15	04/1993 to 03/1994	2
16	04/1994 to 03/1995	4
17	04/1995 to 03/1996	11
18	04/1996 to 03/1997	3
19	04/1997 to 03/1998	6

20	04/1999 to 15.01.01	6
	Total	**62**

अत: अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला, हि. प्र. उपरोक्त शेष अनिर्णीत पैरो के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरांत इन पैरो का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–2

2 वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल -II के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा सर्वश्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) एवं रविंद्र सिंह अनुभाग अधिकारी (ले. प.) द्वारा दिनांक 19.12.2016 से 15.02.2017 तक श्री सतपाल सिंह, उप निदेशक स्थानीय लेखा प्रीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला -09 के पर्यावेक्षण में मण्डल स्थित कार्यालय शिमला में किया गया। मास 03/2016 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में समाविष्ट किया गया हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाए गए।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल –II, जिला शिमला, हि. प्र. द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया हैं, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा प्रीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला -09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया हैं।

3 अंकेक्षण शुल्क: –

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल -II जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2016 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 (क) स्टाफ अग्रिम ₹0.83 लाख समायोजन हेतु शेष: –

स्टाफ अग्रिम लेखा की जाँच करने पर गया कि दिनांक 31.03.2016 को ₹83144/- समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस निम्न दिया गया हैं। स्टाफ अग्रिम विवरण की जाँच में पाया गया कि अधिकतर अग्रिम वाहन चालको से संबन्धित थे। अत: इस संबंध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

कर्मचारी का नाम एवं पद	खाता पृ.सं.	वर्ष 2015-16 के अन्त में देय
श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	237	49735.00
श्री रजिन्द्र पाल सिंह, चालक	229	694.00
श्री प्रेम लाल, कनिष्ठ अभियन्ता	244	7800.00
श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	428	18481.00

श्री दुर्गा दास, चालक	431	6434.00
	कुल	**₹83144.00**

(ख) दिनांक 31.03.2016 को विविध अग्रिम लेखा शीर्षक के अंतर्गत ₹26.79 लाख समायोजन हेतु शेष

विविध अग्रिम से संबन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल–II के अंतर्गत दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न विभागों/फ़र्मों/संविदाकारों से ₹2678846/- समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षो से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं। अत: इस संबंध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

फ़र्म का नाम	**Ledger Page No.**	**वर्ष 2015-16 के अन्त में देय**
HP State Civil Supply Corporation Ltd. Shimla	423	2176176.00
Indian Oil Corporation, Shimla	428	4743.00
HP Agro Industries	429	102375.00
Steel Authority of India	425	143556.00
Rashitya Ispat Nigam Ltd.	429	2853.00
Sh.Bhawani Dutt, Contractor	428	249143.00
	Total	**2678846.00**

5. (क) जल प्रभार की `₹09.21 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमुड़ा निर्माण मण्डल-II के अंतर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2016 तक ₹920949 जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्रम सं.	**आवासीय बस्ती का नाम**	**जल प्रभार की दिनांक 31.03.2016 तक शेष राशि**
1	आवास बस्ती शोघी	373703.00
2	आवास बस्ती बी0सी0एस0 फेज–II न्यू शिमला	165116.00
3	आवास बस्ती कंडाघाट	321230.00
4	आवास बस्ती बसाल	59048.00
5	आवास बस्ती सोलन फेज-II	1852.00
	कुल योग	920949.00

(ख) ₹40.02 लाख का रख रखाव प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष :-

हिमुड़ा निर्माण मण्डल-II के अंतर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2016 तक ₹4001642 रख रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्रम सं.	**आवासीय बस्ती का नाम**	**रख रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.2016 तक शेष राशि**
1	आवास बस्ती शोघी	1105488.00
2	आवास बस्ती बी0सी0एस0 फेज–II न्यू शिमला	336404.00
3	आवास बस्ती Kasumpati(Chhabroti)	736338.00
4	आवास बस्ती कंडाघाट	599113.00
5	आवास बस्ती सोलन फेज-I	10682.00
6	आवास बस्ती सोलन फेज-II(सपरून)	588814.00
7	आवास बस्ती बसाल	624803.00
	कुल योग	**4001642.00**

6 ₹2.98 लाख का संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में डेबिट रूप में पाया जाना :-

संविदाकारों की प्रतिभूति जमा खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न संविदाकारो के व्यक्तिगत खातों में ₹298125/– की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अंतशेष डेबिट रूप में पाया गया जिसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट– ख** पर दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अंतशेष का डेबिट होना यह दर्शाता हैं कि जितनी राशि संविदाकारों से धरोहर/प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई थी उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया। संविदाकार को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान एक अत्यंत गंभीर अनियमितता हैं। अत: इस संबंध में उचित छानबीन की जाए और ₹298125.00 के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली संबन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

7 उप–मण्डल की रोकड़ प्राप्तियों को विलंब से जमा करवाया जाना

अंकेक्षण के दौरान उप मण्डल सोलन की जल प्रभार और रख रखाव प्रभार के रूप में विभिन्न मकान/प्लाट मालिकों से प्राप्त आय की संबन्धित अभिलेखों से पड़ताल करने पर पाया गया कि प्राप्त आय को निर्माण मण्डल –II में विलम्ब से जमा करवाया जा रहा था। जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध होने के साथ साथ प्राप्त राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी हैं। देरी से जमा करवाई गई राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट- ग** पर दिया गया हैं। अत: मण्डल स्तर पर आय को देरी से जमा करवाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में उप मण्डल स्तर पर एकत्रित आय को शीघ्र अति शीघ्र मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

8 **वाऊचर संख्या 143 दिनांक 31.03.2016 ₹2088142.00**

निर्माण कार्य का नाम	Repair & Renovation of Coop. Bank Complex at ACSTI, Sanghti(SH:Renovation of Hostel Block, Admin Block, Faculty Block Glass House)
संविदाकार का नाम	M/S AG Construction
अनुबंध सं.	05 of 2015-16
चलित बिल	1st से 6th

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन M/S AG Construction को अधिशाषी अभियन्ता के पत्र संख्या HBS(SD-II)A-432/2015-395-403 दिनांक 01.05.2015 समय अवधि 12 माह ₹26817499.46 के लिये किया गया जो कि कुल अनुमानित ₹23825070.59 का 12.56%अधिक था । इस कार्य के समस्त बिलों (कार्य आबंटन से मार्च 2016 तक) का विस्तृत अंकेक्षण किया गया। इस कार्य के विभिन्न कार्य बिलों में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

(i) 7mm thick Steel Plate हेतु गलत conversion Factor लिए जाने के कारण संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 31 i.e "Steel Work Welded" के संदर्भ में ₹0.91 लाख का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्या 31 i.e "Steel Work Welded" के सम्बन्ध में निष्पादित एवं संविदाकार को भुगतान की गई मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि 4th और 6th चलित बिल में MB No. 972 पृ.सं.40 और पृ.सं.79 पर 7mm thick steel plate का Conversion factor 61.1kg प्रति वर्ग मीटर लिया गया था। जबकि निर्माण के लिए तय मापदण्डो के अनुसार 7mm thick steel plate का Conversion factor 55kg प्रति वर्ग मीटर लिया जाना चाहिए था। Conversion factor अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹90535/- का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का विवरण निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया हैं। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Abstract of Cost MB/P.No.	**Qty. of 7mm Steel Plate executed in Sq. Mtr**	**Conversion Factor for taken per Sq.Mtr**	**Conversion factor as per Rules per Sq.Mtr**	**Excess conversion factor taken per Sq.Mtr**	**Total Excess Qty in KG paid to Contractor**	**Rate as per agreement**	**Total Excess payment (₹)**
967, 52	197.69m^2	61.1kg per Sq.Mt	55kg per Sq.Mt	6.1kg per sq.mtr	1205.91kg	75.00 per kg	90443.25
968, 50	0.20 m^2	61.1kg per Sq.Mt	55kg per Sq.Mt	6.1kg per sq.mtr	1.22kg	75.00 per kg	91.5
						Total	**₹90534.75**

	or say ₹90535.00

(ii) अनुबन्ध की मद संख्या 52 i.e “Demoliation of brick work above Ground Level” की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 10 i.e “Half Brick Massonary” की मात्रा का अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.55 लाख का अधिक भुगतान।

अंकेक्षण में 1^{st} चलित बिल में Toilet of Hostel Block (MB No. 968 P.No.1,5) और 3^{rd} चलित बिल में Hostel Block 2^{nd} half portion Toilets (MB No. 967 P.No.27,29) हेतु अनुबन्ध की मद संख्या 52 i.e “Demoliation of brick work above Ground Level” और मद संख्या 10 i.e “Half Brick Massonary” के लिए माप पुस्तिका मे वर्णित लम्बाई और ऊँचाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 10 i.e “Half Brick Massonary” हेतु गलत लम्बाई और ऊँचाई की मात्रा ली गई थी। जबकि मद संख्या 52 में वर्णित लम्बाई और ऊँचाई के अनुसार ही मद संख्या 10 का भुगतान किया जाना चाहिए था। क्योंकि demoliation of brick work के बाद उसी लम्बाई और ऊँचाई में half brick massonary लगाई जानी अपेक्षित थी। यदि निर्माण साईट के अनुसार half brick massonary हेतु लम्बाई और ऊँचाई बढ़ाई गई थी तो इस तथ्य का कोई विवरण Site Order Book में नहीं दिया गया था और न ही इस तथ्य का कोई विवरण Approved Drawing में दिया गया था। इस प्रकार मद संख्या 10 हेतु गलत लम्बाई और ऊँचाई की मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹55160/- का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

For Toilets of Hostel Block			
Item No. 52 i.e. “Demoliation of brick work above Ground Level”	**Item No. 10 i.e “Half Brick Massonary”**	**Qty of Item No. 10 should be paid to the Contractor as per Audit**	**Total Excess Qty of item No. 10 Paid up to 1^{st} Running Bill**
Qty Executed & paid during 1^{st} Running Bill			
MB 968 P.No.1	**MB 968 P.No.5**		
18X2X1.95X0.115X2.90=23.41m^3 18X2X2.00X0.115X2.60=21.53m^3 Total 44.94m^3	18X2.00X2.90= 104.40m^2 18X2.65X2.60 =124.02m^2 Total 228.42m^2 Less:Deduction for windows 18X0.80X2.14 30.82m^2 Total 197.60m^2	18X1.95X2.90=101.79 m^2 18X2.00X2.60= 93.60 m^2 Total 195.39 m^2 Less: Deduction for Windows 18X0.80X2.14 30.82m^2 Total 164.57m^2	197.60 m^2 - 164.57m^2 = 33.03 m^2

Toilets Hostel Block 2nd Half Portion			
Qty Executed & paid during 3rd Running Bill			
MB 967 P.No.27	**MB 967 P.No.29**		
18X2X1.95X0.115X2.90=23.41m^3 18X2X2.00X0.115X2.60=21.53m^3 Total 44.94m^3	18X2.00X2.90= 104.40m^2 18X2.65X2.60 =124.02m^2 Total 228.42m^2 Less:Deduction for windows 18X0.80X2.14 30.82m^2 Total 197.60m^2	18X1.95X2.90=101.79 m^2 18X2.00X2.60 = 93.60 m^2 Total 195.39 m^2 Less: Deduction for Windows 18X0.80X2.14 30.82m^2 Total 164.57m^2	197.60 m^2-164.57m^2= 33.03 m^2
Total Excess Qty of Item No. 10 Paid in 1st and 3rd Running Bill			**33.03 m^2 + 33.03 m^2 = 66.06 m^2**
Allotted Rate of Item No. 10			**835.00 per Sqmtr.**
Total Excess payment for Item No. 10 to the Contractor			**66.06 m^2 X 835.00 per Sqmtr = 55160.10 or say 55160/-**

(iii) अनुबन्ध की मद संख्या 50.1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness" की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 5 i.e "CC 1:4:8" की मात्रा का अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.45 लाख का अधिक भुगतान।

अंकेक्षण में 2nd चलित बिल में Depression of Toilet of Hostel Block (MB No. 968 P.No.6) के संदर्भ में अनुबन्ध की मद संख्या 50.1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness" और मद संख्या 5 i.e "CC 1:4:8 " के लिए MB मे वर्णित गहराई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 5 i.e "CC 1:4:8 " हेतु गलत गहराई की मात्रा ली गई थी। जबकि मद संख्या 50.1 में वर्णित गहराई के अनुसार ही मद संख्या 5 का भुगतान किया जाना चाहिए था। क्योंकि demoliation below GL for Toilet Depression 15cm thickness हेतु किया गया था। उस स्थिति में Cement Concrete 1:4:8 भी 15cm गहराई में ही किया जाना अपेक्षित था। यदि निर्माण साईट के अनुसार Cement Concrete 1:4:8 अधिक गहराई में किया गया था तो इस तथ्य का कोई विवरण Site Order Book में नहीं दिया गया था और न ही इस तथ्य का कोई विवरण Approved Drawing में दिया गया था। इस प्रकार मद संख्या 5 हेतु गलत गहराई की मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹44910/- का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Record MB No/P.No.			Qty Executed & paid during 2nd Running Bill
968 P.No. 6	For Toilet Depression, Hostel Block	Item No. 50.1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness"	18X1X4.25X1.45X**0.15**= 16.63m^3
967, 18		Item No. 5 i.e **Cement Concrete 1:4:8**	2X9X2.10X1.76X**0.30**= 19.96m^3 Total 19.96m^3
Qty of Item No. 5 should be paid to the Contractor as per Audit			
			2X9X2.10X1.76X**0.15**= 9.98m^3 Total 9.98m^3
Total Excess Qty of item No. 5 Paid in 2nd Running Bill			19.96 m^3 -9.98m^3 = 9.98 m^3
Allotted Rate of Item No. 5			4500.00 per m^3
Total Excess payment for Item No. 5 to the Contractor			9.98 m^{3}X 4500.00 per m^3 = 44910

(iv) अनुबन्ध की मद संख्या 50.1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness" की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 41 i.e "15mm Cement Plaster" की मात्रा का अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान।

अंकेक्षण में 2nd चलित बिल में Depression of Toilet of Hostel Block (MB No. 968 P.No.6) के संदर्भ में अनुबन्ध की मद संख्या 50.1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness" और मद संख्या 41 i.e "15mm Cement Plaster" के लिए MB मे वर्णित गहराई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 41 i.e "15mm Cement Plaster" हेतु गलत गहराई की मात्रा ली गई थी। जबकि मद संख्या 50.1 में वर्णित गहराई के अनुसार ही मद संख्या 41 का भुगतान किया जाना चाहिए था। क्योंकि demoliation below GL for Toilet Depression 15cm thickness हेतु किया गया था। उस स्थिति में 15mm Cement Plaster भी 15cm गहराई में ही किया जाना अपेक्षित था। यदि निर्माण साईट के अनुसार 15mm Cement Plaster अधिक गहराई में किया गया था तो इस तथ्य का कोई विवरण Site Order Book में नहीं दिया गया था और न ही इस तथ्य का कोई विवरण Approved Drawing में दिया गया था। इस प्रकार मद संख्या 41 हेतु गलत गहराई की मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹2032/- का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Record MB No/P.No.			Qty Executed & paid during 1st Running Bill
968 P.No. 6	For Toilet Depression, Hostel Block	Item No. 50.1 i.e "Demoliation below Ground Level up to 15cm thickness"	18X1X4.25X1.45X0.15= 16.63m^3
967, 18		Item No. 41 i.e "15mm Cement Plaster"	2X9(2.10+1.76)0.30= 20.84m^2 2X9X2.10X2.76 = 104.33m^2 Total 125.17m^2
Qty of Item No. 41 should be paid to the Contractor as per Audit			
			2X9(2.10+1.76)0.15= 10.42m^2 2X9X2.10X2.76 = 104.33m^2

			Total 114.75m^2
Total Excess Qty of item No. 41 Paid in 2nd Running Bill			125.17 m^2 -114.75m^2 = 10.42 m^2
Allotted Rate of Item No. 41			195.00 per Sqmtr.
Total Excess payment for Item No. 41 to the Contractor			10.42 m^2 X 195.00 per Sqmtr = 2031.90 or say 2032/-

(v) अनुबन्ध की मद संख्या 56 i.e "Dismentling Doors, Windows" की measurement unit गलत लिए जाने के कारण संविदाकार को `₹0.44 लाख का अनुचित लाभ।

अनुबन्ध की मद संख्या 56 i.e "Dismentling Doors, Windows" के संदर्भ में Schedule of Quantity और Measurement Book इत्यादि की पड़ताल करने पर पाया गया कि मद संख्या 56 के सम्बन्ध में Schedule of Quantity में Doors,Windows को Dismentling करने पर संविदाकार को भुगतान प्रति Doors और Window किया जाना अपेक्षित था। जबकि इसके विपरीत 1st चलित बिल से 4th चलित बिल के दौरान मद संख्या 56 के लिए संविदाकार को भुगतान वर्ग मीटर के आधार पर किया गया था। इस प्रकार अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत गलत measurement unit लगाए जाने के कारण संविदाकार को 5th चलित बिल तक 43868/- का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस सम्बन्ध में उचित विभागीय छानबीन की जाए और संबन्धित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाये।

Running Bill No.	**Date of Payment**	**Record MB No/P.No.**	**Abstract of Cost MB No.**	**Qty Executed & paid in Sqr.mtr**	**Rate Given per Sqr. mtr**	**Total Payment made**
1st	10.07.2015	968/06	967/06	474.83m^2	75 per m^2	35612.25
2nd			No qty executed or paid			
3rd	09.11.2015	967/28	972/17	434.08 m^2	75 per m^2	32556.00
4th			No qty executed or paid			
Total payment made up 4th Running Bill						**68168.25**
Necessary correction made in 5th Running Bill on MB 968 P.no. 45 when Item No. 56 was paid according to Schedule of Quantity .						
Total Quantity of Doors & Windows dismental up to 5th Running Bill as per MB 968 P.No. 45 (Date of payment was 29.02.2016)						243
Rate as per Schedule of Quantity						100 per Door, Window
Total payment due to Contractor up to 5th Running Bill						**24300.00**
Excess payment up to 5th Running Bill (68168.25-24300)						**43868.25**

9. **वाऊचर संख्या 98 दिनांक 19.03.2016 ₹722416.00**

निर्माण कार्य का नाम	C/o PSFS(Chhabroti) at Kasumpati (SH: 15 Nos Cat-I Flats Block No. 9,10 & 11) 30 Nos. Cat-II Flats (Block 12A,14,15 &16) & 6 No Cat-III Flats (Block No.-12) i/c WS & SI and Dev of Site & C/O R/Walls along main Road RD 0/200 to 0/293 mtr Group-IV
संविदाकार का नाम	M/S Om Parkash Surinder Mohan
अनुबंध सं.	18 of 2007-08
	10cc Claim

संविदाकार को 10 cc दावे के रूप में ₹0.72 लाख का अधिक भुगतान

नियमानुसार पूर्व वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित निर्माण कार्य से संबन्धित अधिक भुगतान के मामले, जिनकी उस निर्माण कार्य से संबन्धित आगामी चलित बिलों में, जिनका भुगतान अंकेक्षण के बाद किया गया था, से वसूली कर दी गई हो, को संविदाकार के Gross Value of Work Done में से कम दर्शा कर 10 cc दावे की गणना करनी चाहिए। अकेक्षण में संविदाकार को 10cc दावे के संबंध में किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि ऐसी अंकेक्षण आपत्तियाँ जिनके संबंध में संविदाकार के चलित बिल से वसूली कर ली गई थी को संविदाकार के Gross Value of Work Done में से कम नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 10cc दावे का ₹72154.00 का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का विवरण **परिशिष्ट-घ** पर दिया गया हैं। अत: ₹72154.00 का अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 **वाऊचर संख्या 130 दिनांक 31.03.2016 ₹828578.00**

निर्माण कार्य का नाम	C/o PSFS at Kandaghat, Distt. Solan(SH:-C/O 8 Nos Garrage, 4 Nos Shops and 1 No. Hall)
संविदाकार का नाम	Sh.Suriender Kumar Govt. Contractor
अनुबंध सं.	03 of 2014-15
Abstract of Cost MB	948 P.No. 22 to 58
चलित बिल संख्या	3rd

(i) अतिरिक्त मदों (Extra Items) के मूल्य का अधिक निर्धारण किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.04 लाख का अनुचित लाभ

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में 3rd चलित बिल की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि निम्न अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में भुगतान मूल्य का निर्धारण अनुबंध की धारा 12(i) से (vi) के अंतर्गत न किए जाने के कारण संविदाकार को ₹3888/- का अधिक भुगतान किया गया था। पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: अतिरिक्त मदों हेतु संविदाकार को किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए, साथ ही अतिरिक्त मदों के भुगतान मूल्य की गणना अनुबन्ध की धारा 12(i) से (v) के अंतर्गत न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Agreement Item No.	**Abstract of Cost MB/P.No**	**Quantity Executed up to 3rd Running Bill**	**Rate Paid to Contractor**	**Rate Approved by the Authority**	**Excess Rate Paid to the Contractor**	**Excess Amount Paid**
P/F High Preasure PVC Spigot Dia 110mm	948/ 49	21.95rmt	228.37 per rmt	202.50 per rmt	25.87per rmt	568.00
P/F High Preasure PVC Spigot Dia 75mm	948/ 50	29rmt	171.00 per rmt	139.35 per rmt	31.65per rmt	918.00
P/F ChinaWash Basin 550X460mm	948/54	2Nos	7968.00 per pc	6767.00 per pc	1201 per pc	2402.00
					Total Excess Payment	**3888.00**

11 वाऊचर संख्या 79 दिनांक 16.03.2016 ₹1808114/-

निर्माण कार्य का नाम	R/R of Co-op. Bank Complex at ACSTI,Sanghti, Summer Hill, Shimla-5 (SH: C/o Boundary Wall,R/work Chain linked fencing,channallization of Nallah etc.
संविदाकार का नाम	Sh.Layq Ram Chauhan. Govt Contractor
अनुबंध सं.	16 of 2014-15
Abstract of Cost MB	941 P.No. 74 to 85
चलित बिल संख्या	6th

(i) RD की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.16 लाख का अनियमित भुगतान

अनुबंध की मद संख्या 11 “RR Masonary in cm 1:6” की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि 6 th चलित बिल तक 100.57m^3 के लिए दर 27 00.00 प्रति घन मी. की दर से कुल

₹271539.00 का भुगतान किया गया था। इस निष्पादित कार्य मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि RD की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को उपरोक्त मद हेतु ₹16389.00 का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Agreement Item No.	**Abstract of Cost MB/P.No**	**Calculation as Per Record MB No. 942 P.No. 59**	**Calculation as per Audit**	**Excess Qty. paid**	**Rate paid Per m^3**	**Total Excess Amount Paid**
11. RR masonary in CM 1:6	941 P.No.78	RD 110 to 250 149X0.75X0.90 = 100.57m^3	RD 110 to 250 140X0.75X0.90 = 94.50m^3	6.07 m^3	2700	16389.00
					Total	**16389.00**

(ii) अनुबन्ध की मद संख्या 31.1 i.e. P & L in trenches Cast Spun Iron Pipes 100mm Dia की भुगतान दर अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में अनुबन्ध की मद संख्या 31.1 P & L in trenches Cast Spun Iron Pipes 100mm Dia के सम्बन्ध में भुगतान दर, Schedule of Quantity, Abstract of Cost MB इत्यादि की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि भुगतान दर अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹9940/- का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Agreement Item No.	**Abstract of Cost MB/P.No**	**Qty executed and Paid up to 6th Running Bill**	**Rate Given to the Contractor**	**Rate as per Agreement**	**Excess rate Per RMT**	**Total Excess Amount Paid**
(31.1) i.e. P & L in trenches Cast Spun Iron Pipes	941 P.No.81	124.25RMT	1180 per RMT	1100 Per RMT	80.00	9940.00

100mm Dia

Total Excess payment 9940.00

12 वाऊचर संख्या 93 दिनांक 19.03.2016 ₹ 848880.00

निर्माण कार्य का नाम	C/o 2Nos. Class Room at Dharoti, Rajgrah, Solan
संविदाकार का नाम	Sh. Anil Kumar
अनुबंध सं.	2 of 2014-15
चलित बिल	3rd Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 73 से 81 of MB No. 870

(i) Approved Drawing की तुलना में Window-2 की अधिक मात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को अनुबंध की मद संख्या 42(B) i.e Prov. Pressed Steel Door/Window (Profile B) हेतु ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान।

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध की मद संख्या 42(B) "Prov. Pressed Steel Door/Window (Profile B)" के संदर्भ में 3rd Running Bill तक कुल 516.24rmt कार्य मात्रा **428/-**प्रति RMT की दर से निष्पादित एवं भुगतान की गई थी। इस निर्माण कार्य की Approved Drawing और अनुबन्ध की मद संख्या 15 i.e. "Brick Work" (MB No. 934 पृ. 27) की जाँच करने पर पाया गया कि Window – W2 की न तो Brick Work से Deduction कीगई थी और न ही Window –W2 का Approved Drawing में कोई प्रावधान था। जिससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि संविदाकार द्धारा Window– W2 की मात्रा का निष्पादन वास्तव में नहीं किया गया। परन्तु फिर भी संविदाकार को Window– W2 हेतु ₹9262/- का अनियमित भुगतान किया गया। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस गलत भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Abstract of Cost MB	**Record MB No.**	**Size as per Approved Drawing**	**Deduction from Bricks work**	**Item No. 42(B) recorded & paid to the Contractor**	**Excess Payment**
870 P.No. 82	934 P.No.24	For Window-W2 कोई प्रावधान नहीं.	किसी प्रकार की कोई Deduction नहीं दी गई	For W2 = V= 2X2X1.85= 7.40Rmt = 2X2X1.04= 4.16Rmt = 2X2X0.72= 2.88Rmt H=2X2X0.90= 3.60Rmt =2X2X0.90= 3.60 Rmt Total 21.64Rmt	21.64Rmt X 428 per Rmt= 9261.92 or Say 9262/-
				Total	**9262/-**

13 सेवा कर से संबन्धित ₹45.24 लाख को Custom & Central Excise Deptt. में जमा न करवाया जाना :–

अंकेक्षण में विभिन्न खाता वहियों की (Ledgers) जाँच करने पर पाया गया कि सेवा कर खाते में दिनांक 31.03.2016 को ₹4523573/– संविदाकारों के चलित बिलों और आवसीय एवं व्यापारिक परिसरों के आबंटियों से नियमानुसार सेवा कर की कटौती की गई थी साथ ही कटौती की गई ₹ 4523573/– को Custom & Central Excise Deptt. में जमा नहीं करवाया गया था। इस प्रकार सेवा कर की राशि को कटौती करके संबन्धित विभाग में जमा न किया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हैं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी माह के दौरान सेवा कर की कटौती की गई राशि को संबन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था। अत: सेवा कर की संविदाकारों के चलित बिलों से कटौती करने के उपरांत संबन्धित विभाग में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कटौती की गई सेवा कर की राशि को शीघ्र संबन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 नियमों की अवहेलना करके संविदाकार/ठेकेदारों को ₹8.13 लाख का अधिक सुरक्षित अग्रिम प्रदान करके अनुचित लाभ प्रदान करना:–

अनुबन्ध की धारा 10बी के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार को 75% of Cost of Material का सुरक्षित अग्रिम के रूप में प्रदान किया जा सकता हैं। किसी भी अनुबन्ध मद के Tendered Rate के दो भाग होते हैं 25% Labour Portion और शेष 75% Material Portion उपरोक्त धारा के अनुसार संविदाकार को अनुबन्ध मद के Material Portion के 75% के बराबर सुरक्षित अग्रिम दिया जा सकता हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु संबन्धित संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम प्रदान किए गए थे। प्रदान किए गए सुरक्षित अग्रिम की जाँच करने पर पाया गया की निर्माण मण्डल द्धारा उपरोक्त नियम की अनदेखी करके ₹813211/- का अधिक सुरक्षित अग्रिम प्रदान किया गया। इस समस्त राशि का पूर्ण ब्यौरा **परिशिष्ट–ड** में स्पष्ट किया गया हैं। अत: नियमों के विपरीत संविदाकारों/ठेकेदारों अधिक सुरक्षित अग्रिम प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

15 ₹111.10 लाख के अग्रिमों का बिल वाऊचरों के बिना समायोजन किए जाने बारे।

अंकेक्षण के दौरान स्टॉक अभिलेख वर्ष 2015-16 की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित समायोजन वाऊचरों द्धारा विविध अग्रिमों का विभिन्न फर्मों के नाम समायोजन किया गया था। परंतु समायोजन से संबन्धित बिल वाऊचर जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था समायोजन वाऊचरों के साथ संलग्न नहीं थे, समायोजन वाऊचरों में केवल GR संख्या अंकित की गई थी साथ ही संबन्धित GR के साथ भी बिल वाऊचर संलग्न नहीं थे, जिसके अभाव में अग्रिम राशियों के समायोजन की पुष्टि नहीं हो सकी। बिना बिल वाऊचर प्राप्त किए ही अग्रिम राशियों का समायोजन करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। अत: बिना बिल वाऊचर प्राप्त किए अग्रिम राशियों का समायोजन किये जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी अग्रिम राशियों से संबन्धित बिल वाऊचर,ए.पी.आर. इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए। भविष्य में अग्रिम राशियों के समायोजन वाऊचर में बिल वाऊचर इत्यादि संलग्न किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए।

दिनांक	समायोजन वाऊचर संख्या	समायोजित की गई राशि	GR संख्या जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था।
30.04.2015	J-1	531344.00	168 Dt.23.04.2015 (P/O 11.4 MT Steel)
30.04.2015	J-4	455620.00	399 to 404 (P/O 2200 Bags of Cement)
30.05.2015	J-16	748501.00	169 & 170 (P/O 10.63 MT of Steel & 1200 Bags of Cement Bags)
30.06.2015	J-4	414200.00	409, 410,411,412,413(P/O 2000 Bags of Cement)
31.07.2015	J-14	480773.00	414,416,417,418,420,421,422 (P/O 2000 Bags of Cement)
31.07.2015	J-18	648420.00	175,177,178,184,185,186,187(P/O 3000 Bags of Cement)
31.08.2015	J-2	240390.00	424,425,426(P/O 1000 Bags of Cement)
31.08.2015	J-11	1540348.00	188,189,190,191,192,193,194,195,196(P/o 0.635MT Steel & 6100 Bags of Cement)
30.09.2015	J-5	249520.00	197,198(P/O 1000 Bgas of Cement)
30.09.2015	J-12	180296.00	427,428,429,430(P/O 800 Bags of Cement & 17.975 MT of Steel)
31.10.2015	J-13	631036.00	431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441 (P/O 2200 Bags of Cement & 1.865 MT of Steel)
31.10.2015	J-21	748560.00	199,200,201,202,203,204,205,206,207(P/O 3000 Bags of Cement)
30.11.2015	J-6	540888.00	442,443,444,445,446,447,448(P/O 2400 Bags of Cement & P/O 14.955MT of Steel)
30.11.2015	J-15	998080.00	208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,(P/O 4000 Bags of Cement)
31.12.2015	J-6	225370.00	451,452,453,454,455,456,457,458 (P/O 1000 Bags of Cement & 89.33 MT of Steel)
30.01.2016	J-3	180296.00	459,460,461 (P/O 800 Bags of Cement)
30.01.2016	J-5	499040.00	224,225,226(P/O 2000 Bags of Cement)
29.02.2016	J-18	270444.00	462,463,464,465,466 & 467 (P/O 1200 Bags of Cement)
29.02.2016	J-21	998080.00	227,228,229,230(P/O 4000 Bags of Cement)
31.03.2016	J-13	528924.00	468,469,470,472,473,474,475,476 (P/o 2200 Bags of Cement)
	Total	**11110130.00**	

16 संविदाकार/ठेकेदार की ₹0.16 लाख की कालातीत हो चुकी प्रतिभूति की राशि को जब्त न किया जाने के कारण निर्माण मण्डल को हानि

CPWD Works Manual 2003 के नियम 21.7 के अनुसार “The claim for refund of security deposit is governed by the Limitation Act. The period of limitation is 3 years commencing from the date the right to due accures. In the case of security deposit

paid along with the individual contract, the right to due would accrue under Clause 17 after the maintenance period or payment of final bill whichever is later".

उपरोक्त नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को उसकी देय तिथि, एवं Clause 17 के अंतर्गत रखरखाव हेतु निर्धारित अवधि या अंतिम बिल की भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो के बाद क्लेम कर सकता हैं। परंतु इस अवधि की समाप्ति के उपरांत यदि कोई संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा प्रतिभूति को क्लेम नहीं करता तो वह प्रतिभूति कालातीत मानी जायेगी, और नियमानुसार ऐसी सभी कालातीत प्रतिभूति की राशि को निर्माण मण्डल द्वारा जब्त करके अपनी विविध आय (Miscellaneous Income) शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जायेगा। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण मण्डल के पास ₹16000/- जिसका विवरण **परिशिष्ट–च** पर दिया गया हैं दिनांक 31.03.2016 तक संविदाकार/ठेकेदार की प्रतिभूति की ऐसी राशि थी जिनके विरुद्ध निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और संविदाकार/ठेकेदार को उनका भुगतान नहीं किया गया था । अत: यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता हैं और साथ ही अंकेक्षण की और से यह परामर्श दिया जाता हैं की इस मामले में पूर्ण छानबीन करने के उपरांत कालातीत हो चुकी संविदाकार/ठेकेदार की प्रतिभूति की राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार जब्त किया जाए और निर्माण मण्डल की विविध आय शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

17 वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर. आर. मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान

मान्य निर्माण मापदण्डों के अनुसार आर. आर. मैसनरी के भुगतान के समय आर. आर. मैसनरी की देय मात्रा मे से वीप होल्स हेतु प्रयोग 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी क्योंकि वीप होल्स लगाने के स्थान पर आर. आर. मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। निम्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आर. आर. मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार संविदाकारों को ₹29592.00 का आर. आर. मैसनरी का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Name of Work	**Running Bill No.**	**MB No. /P. No.**	**Qty. of Weep Hole Paid**	**Qty. of Weephole in cubic metre that should be deducted from the Qty. of RR Masonary**	**Rate of RR Masonary Paid to Contractor per cubic metre**	**Total Excess payment paid to Contractor**
C/o PSFS at Kandaghat, Distt. Solan(SH:-C/O 8 Nos Garrage,	**3rd**	948 पृ.सं. 48	38.30RMT	0.300घन मी. [22/7X0.05X0.05 X38.30RMT]	₹3081 प्रति घन मी.	**₹924.30** [0.300घन मी. X ₹3081]

4 Nos Shops and 1 No. Hall)						
R/R of Co-op. Bank Complex at ACSTI,Sanghti, Summer Hill, Shimla-5 (SH: C/o Boundary Wall,R/work Chain linked fencing,channal lization of Nallah etc.	**6th**	988 पृ.सं. 15	527.90 RMT	4.14घन मी.[22/7X0.05X0.05X 527.90 RMT]	₹2700 प्रति घन मी.	**₹11178.00** [4.14घन मी. X ₹2700.00]
C/o Housing Colony at Sheel near Solan	**8th**	924 पृ.सं. 75	1011.50 RMT	7.95घन मी. [22/7X0.05X0.05 X1011.50RMT]	₹2200.00 प्रति घन मी.	**₹17490.00** [7.95घन मी. X ₹2200.00]
					Total	**₹29592.30**

18. निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद करने के संबंध में बिल एवं अन्य प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत न किया जाना

अनुबंध की General Specification & Conditions की 13 सं. पर वर्णित शर्त के अनुसार "The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work"

निम्न निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध की मद "Providing wood work in frames of Doors,windows etc." हेतु. का भुगतान संविदाकारों को किया गया था। इस मद के निष्पादन में प्रयोग में लाई गई लकड़ी के लिए लकड़ी की खरीद के संबंध में संविदाकारों द्धारा प्रस्तुत कोई बिल इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अत: अनुबंध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद का बिल इत्यादि प्रस्तुत न किए जाने से पूर्व लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में अनुबंध की उपरोक्त वर्णित शर्त अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की खरीद से संबन्धित अभिलेख संविदाकारों से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Name of Work	Running Bill No.	MB No. /P. No.	Qty. of Wood work paid
C/o PSFS at Kandaghat, Distt. Solan(SH:-C/O 8 Nos Garrage, 4 Nos Shops and 1 No. Hall)	3rd	948 P.No. 29 948 P.No. 30	1.634घन मी. 12.08 वर्ग मी.

19. वाहन पंजीकरण संख्या HP-03-0030 एवं HP-51-0498 के खाता में व्ययों को क्रेडिट करके समायोजित किया जाना

मान्य लेखा नियमों के अनुसार वाहन से संबन्धित विभिन्न व्ययों जैसे कि रखरखाव एवं डीजल,पट्रोल इत्यादि व्यय को माह के अन्त में उन निर्माण कार्यों की लागत में समायोजित किया जाता जिन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वाहन पर व्यय किया गया हो। अंकेक्षण में निर्माण मण्डल के वाहन से संबन्धित खाता बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में वाहन के व्यय को बिना किसी वास्तविक व्यय के निर्माण कार्यों की लागत में समायोजित किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 322/2017 दिनांक 09.01.2017 से समायोजित व्यय के बारे में आवश्यक विवरण देने के बारे में निवेदन किया गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में सूचित किया गया समायोजित किए गए व्यय पिछले मासों से संबन्धित हैं। (**परिशिष्ट–छ)** परन्तु किए गए व्ययों के बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। समायोजित किए गए वाहनों के व्ययों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण यह संदेह प्रतीत होता हैं कि समायोजित किये गए व्यय वास्तव में वाहनों से संबन्धित ही थे या किसी और मद से संबन्धित थे और इन सभी व्ययों को वाहन खातों में Credit करके निर्माण कार्यों की लागत में अनियमित रूप से बढ़ौतरी की गई। अत: इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर आवश्यक छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Vehicle No. HP 03C-0030 (Scorpio)

Date	Voucher No.	Debit	Credit
31.08.2015	J-4		58574.00
31.08.2015	J-17		750.00
30.09.2015	J-11		57796.00
30.09.2015	J-14		750.00
31.10.2015	J-19		25649.00
31.10.2015	J-6		750.00
31.12.2015	J-8		38301.00
31.12.2015	J-19		70927.00
31.12.2015	J-12		750.00
Vehicle No. HP 51C-0498			
29.02.2016	J-4		342129.00

20 **₹699.59 लाख के निर्माण कार्यों को तय समय अवधि के अनुसार पूर्ण न किया जाना**

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों को उनकी तय समय अवधि के दौरान पूर्ण नहीं किया जा रहा था। ऐसे सभी निर्माण कार्यों जिन्हे दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण किए जाना चाहिए था, के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 323/2017 दिनांक 09.01.2017 से अधिशाषी अभियंता से आवश्यक जानकारी देने हेतु निवेदन किया गया। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में उन सभी निर्माण कार्यों की सूचना अंकेक्षण दल को प्रदान की गई जो वर्ष 31.03.2016 तक पूर्ण किए जाने थे और उन निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका। **परिशिष्ट–ज** द्वारा प्रदान की गई जानकारी की पड़ताल करने पर पाया गया कि **₹**6,99,58,688/- के निर्माण कार्यों को तय समय अवधि के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया था। निर्माण कार्यो को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने से जहाँ एक और निर्माण कार्यों की निर्माण लागत में भी बढ़ौतरी होती हैं वही दूसरी और यह निर्माण मण्डल की कार्य कुशलता एवं कार्य को तय समय अवधि में पूर्ण करने की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हैं। अत: निर्माण कार्यो को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त यह मामला आवश्यक कार्यवाही एवं विशेष ध्यानार्थ हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष लाया जाता हैं।

21 **अनुबंध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माण कार्यों के संदर्भ में संविदाकारों को ₹23.67 लाख का अनियमित भुगतान।**

निम्न निर्माण कार्यों के संदर्भ में निष्पादन हेतु आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार "No deviation is permissible at site without the prior written approval on the Competent Authority". इन निर्माण कार्यों से संबन्धित विभिन्न चलित बिलो की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न चलित बिलों में निम्न मदों के सम्बन्ध में अनुबंध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा हेतु कार्य निष्पादित एवं भुगतान किया जा चुका था। उक्त मदों की अधिक प्रमात्रा में निष्पादन हेतु कोई अनुमति/स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप इन मदों पर विभिन्न चलित बिल तक ₹2366710.00 का अधिक व्यय किया जा चुका था, जो कि अनुबंध की मान्य शर्तो का सीधा उल्लंघन था। अत: अनुबंध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक मात्रा का भुगतान संविदाकारों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

कार्य का नाम/अनुबंध सं. (चलत बिल संख्या)	कार्य मद का संक्षिप्त नाम/संख्या	माप पुस्तिका /पृ.सं	कार्य की मात्रा अनुबंध अनुसार	किए गए कार्य की मात्रा	Excess in Qty	भुगतान दर	किया गया भुगतान	Excess in %
Construction of 8no. Garrage at Kandaghat Agreement no.	**Cutting in Earth work (1)**	**948/22**	**805.74 m^3**	**2243.84 m^3**	**1438.1 m^3**	**190.00**	**273239.00**	**178**

3 of 2014-15(5thRunning Bill)	**Providing in wood work in Frames (13)**	**948/29**	**0.93 m^3**	**1.634 m^3**	**0.704 m^3**	**90000.00**	**63360.00**	**76**
	P/F40mm thick Paneled door shutter(14)	**948/30**	**1.8 m^3**	**9.65 m^3**	**7.85 m^3**	**3500.00**	**27475.00**	**436**
	Precast Terrazo Tiles 20mm. Thick in floor(26)	**948/34**	**138.67 m^3**	**280.5 m^3**	**141.83 m^3**	**950.00**	**134738.50**	**102**
	20mm Cement Plaster In rough Side	**948/40**	**318.05 m^3**	**745.12m^3**	**427.07 m^3**	**170.00**	**72601.90**	**134**
Repair &Renovation of co-oprative bank at sangti aggrement no 16 of 2014-15 6th running Bill	**R.R.Masonary in Brest wall &Retaing wall(11)**	**941/78**	**1430.6 m^3**	**1872.54 m^3**	**441.94 m^3**	**2700.00**	**1193238.00**	**31**
Construction of High school DharotiAgg.no2 of 014-15(3rd Running Bill)	**Cutting in Earth work (1)**	**870/74**	**50 m^3**	**1096.34 m^3**	**1046.34 m^3**	**242.00**	**253214.28**	**2093**
	Exavation in Foundation (2)	**870/75**	**98.36 m^3**	**173.18 m^3**	**74.82 m^3**	**250.00**	**18705.00**	**76**
	P/L 1:2:4 in in Foundation (10 a)	**870/78**	**19.9 m^3**	**27.19 m^3**	**7.29 m^3**	**6000.00**	**43740.00**	**37**
	Providing T.M.T. Steel(13)	**870/80**	**15369** kg	**19915** kg	**4546** kg	**63.00**	**286398.00**	**30**
					Total		**2366709.68**	

22 संविदाकार के खाता बहियों को ₹0.17 से Debit न किया जाना

संविदाकार की खाता बहियों एवं संबन्धित इंडेंट की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार की खाता बही को जारी किए गए सीमेंट से डेबिट नहीं किया गया था। ऐसा न किए जाने के कारण संविदाकार की खाता बही को **₹**17425/- से डेबिट

नहीं किया गया था। इस राशि का विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: संविदाकार की खाता बही को जारी किए गए सीमेंट के मूल्य से डेबिट न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही खाता बही को डेबिट न किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किए जाए।

Name of Work	Date & Indent No.	No. of Qty issued as per Indent	No. of Qty Debited in CLP	Difference	Issue Rate	Total
PSFS Kandaghat (SH C/O 8 No Gaurage & 4 No. Shop)	21.03.2016 HSN-20	200 Bags	115 Bags	85 Bags	205	17425

23 कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खाते में से व्यतीत की गई अर्जित अवकाश अवधि को कम न किए जाने बारे।

अंकेक्षण में निर्माण मण्डल के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारी के संदर्भ में कर्मचारी द्धारा व्यतीत की गई अर्जित अवकाश की अवधि को सेवा पंजिका में अर्जित अवकाश खाते से कम नहीं किया गया था। इस कर्मचारी का विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: कर्मचारी के अर्जित अवकाश के खाते को अर्जित अवकाश अवधि से कम न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान में कर्मचारी के अर्जित अवकाश खातों को अर्जित अवकाश अवधि से कम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Employee	Period for which Earned Leave Account not debited.
Sh. Babu Lal	20.08.2007 to 25.08.2007 -06 Days

24 परिवार नियोजन भत्ते के रूप में ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान

वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) ए (3)-6/80 ,दिनांक 08.12.2981 व फिन(सी)ए (3)-8/88, दिनांक 24.07.2013 के अनुसार परिवार नियोजन भत्ते की दर कर्मचारी के पद के वेतनमान के प्रथम/न्यूनतम वेतन वृद्धि के बराबर जोकि दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमान पर आधारित होगी। परंतु उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापनों में दिये गए प्रावधानों के विपरीत हिमुड़ा द्धारा निम्न कर्मचारी के पक्ष में परिवार नियोजन भत्ते को देय दर से अधिक दर से भुगतान किया गया था। इसके साथ ही वर्तमान समय तक अधिक दर से परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। जोकि अनियमित ही नहीं अपितु एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हैं। अत: वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापनों के विपरीत अधिक दर से परिवार नियोजन भत्ते के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई ₹8400 की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए, साथ ही भविष्य में वित्त विभाग (विनियम) के निर्देशों के अनुसार ही परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	कर्मचारी का	अनियमित	भुगतान	प्रति माह	अधिक/अनियमित भुगतान

संख्या	नाम व पदनाम	भुगतान की अवधि	की राशि	परिवार नियोजन की देय दर	
1	श्री बोध राज,J.E	01.02.2013 से 31.07.2016	400.00	200.00	8400.00 (200X42 माह)
				Total	**8400.00**

25 ₹0.10 लाख के यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान

यात्रा भत्ते दावे के वर्ष 2015-16 के वाउचरो के अवलोकन से पाया गया कि हिमुड़ा निर्माण मण्डल परवाणू के सहायक अभियन्ता को सरकारी यात्रा हेतु व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹10188/- का अनियमित भुगतान किया गया था । हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्धारा जारी पत्र सं. हिमुड़ा 5-439/2005, दिनांक 16.02.2005 के अनुसार सहायक अभियंता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व संबन्धित अधिशाषी अभियंता से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था, परंतु निम्न मामलों में सहायक अभियंता द्वारा संबन्धित अधिशाषी अभियंता से पूर्व स्वीकृति लिए बिना अपने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग सरकारी यात्रा के लिए किया गया था, और ऐसा करने से सहायक अभियंता को यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹10188/- का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका औचित्य उपरोक्त पत्र में वर्णित अनुदेशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इस सम्बंध में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

विवरण

वाउचर सं./ दिनांक	कि.मी.	दर प्रति कि.मी.	कुल राशि	टिप्पणी
92, 18.03.2016	1698	6/-	10188.00	सोलन सब डिविजन से विभिन्न स्थानों की यात्रा की गई।

26 लघु आपत्ति विवरणिका: यह अलग से जारी नहीं कि गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अकेंक्षण के दौरान कर लिया गया।

27 निष्कर्ष : लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता हैं।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 196/97 खण्ड–8–4721–4723 दिनाँक 29.07. 2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–2

शिमला–09 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002

3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम बिहार शिमला–171002

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट–''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग–I पैरा 1 (ख) में वर्णित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2,

शिमला–171009 के लेखो अवधि 4/1988 से 3/2015 तक के पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 25	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत	
2	पैरा 21(क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
3	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 22	निर्णीत	(₹484 की वसूली रसीद संख्या 0123126 दिनांक 13.02.2017 से करने के उपरान्त)

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 15(4)	निर्णीत	(₹2396 की वसूली MB No. 344 पृष्ठ संख्या 65 दिनांक 14.03.2005 पर करने के उपरान्त)
2	पैरा 18	निर्णीत	(₹29413 की वसूली Journal Voucher J-18 दिनांक 01/2017 से किए जाने के उपरान्त)
3	पैरा 25(1) (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 25 (3)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
5	पैरा 25 (4)	निर्णीत	(₹87 की वसूली रसीद संख्या 0123124 दिनांक 13.02.2017 से करने के उपरान्त)

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 9	निर्णीत	(Extension granted vide letter No. HB-15-Contract-case Shimla (2) Vol-II 534 Dt. 09.03.2006)
2	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 13(1)	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA-15-Contract-Case-Solan/90-Vol.Loose-706 Dt. 04.05.2012 के द्वारा नियमित किए जाने के उपरान्त)
4	पैरा 13(2)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
5	पैरा 18(2)	निर्णीत	(सम्बन्धित विषय में सक्षम प्राधिकारी से पत्र संख्या HIMUDA (DB) BCS-Phase III (Part-II)-1310 Dt. 15.07.2014 & 1665 Dt. 20.08.2017 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए जाने के उपरान्त)
6	पैरा 19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
7	पैरा 20(1)	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त (Ledger P.No. 166, 167 Yr 2007-08))
8	पैरा 20(2)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
9	पैरा 21	अनिर्णीत	
10	पैरा 25	निर्णीत	(₹119 की वसूली रसीद संख्या 0123126 दिनांक 13.02.2017 से एवं शेष राशि सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से करने के उपरान्त)

11	पैरा 27	अनिर्णीत	
12	पैरा 28	अनिर्णीत	
13	पैरा 29	अनिर्णीत	
14	पैरा 31	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
2	पैरा 21(ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 11	अनिर्णीत

(7) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010</u>

1	पैरा 21	निर्णीत	(सम्बन्धित विषय में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए जाने के उपरान्त)
2	पैरा 22(क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
3	पैरा 26	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 10.3	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 19 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 20 (ङ)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा 4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 4 (1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 5 (1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 5 (2)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 6	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
7	पैरा 7	निर्णीत	(जर्नल वाउचर J-4 of 06/2016 के द्वारा समायोजन किए जाने के उपरान्त)
8	पैरा 8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	निर्णीत	(₹172 की वसूली रसीद संख्या 0123125 दिनांक 13.02.2017 से करने के उपरान्त)
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	निर्णीत	(₹12474 जर्नल वाउचर J-10 of 07/2016 के द्वारा संविदाकार से वसूल किए जाने के उपरान्त)
13	पैरा 12.1	निर्णीत	(₹648 जर्नल वाउचर J-10 of 07/2016 के द्वारा संविदाकार से वसूल किए जाने के उपरान्त)
14	पैरा 13	निर्णीत	(₹32714 जर्नल वाउचर J-6 of 08/2016 के द्वारा संविदाकार से वसूल किए जाने के उपरान्त)

15	पैरा 13.1	निर्णीत	(₹18768 जर्नल वाउचर J-6 of 08/2016 के द्वारा संविदाकार से वसूल किए जाने के उपरान्त)
16	पैरा 13.2	निर्णीत	(₹864 जर्नल वाउचर J-6 of 08/2016 के द्वारा संविदाकार से वसूल किए जाने के उपरान्त)
17	पैरा 14	अनिर्णीत	
18	पैरा 15	अनिर्णीत	
19	पैरा 15.1	निर्णीत	(Penal Interest को सक्षम प्राधिकारी के पत्र संख्या HIMUDA-15-292/06-SE (S) Vol-IV-589-92 Dt. 21.04.2016 के द्वारा Revoked किए जाने के उपरान्त)
20	पैरा 16	अनिर्णीत	
21	पैरा 17	निर्णीत	(आवश्यक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किए जाने के उपरान्त)
22	पैरा 18	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
23	पैरा 19	अनिर्णीत	
24	पैरा 20	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
25	पैरा 21	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
26	पैरा 22	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
27	पैरा 23	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

28	पैरा 24	निर्णीत	(₹10660 को वाउचर संख्या 16 of 02/2015 के द्वारा Ledger P.No. 429 (2014-15) पर समायोजित किए जाने के उपरान्त)
29	पैरा 25	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
30	पैरा 26	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
31	पैरा 27	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
32	पैरा 27.1	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 23(ङ)(1)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 10 (परिशिष्ट व)	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 9(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा 24(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 32(एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा 32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत
11	पैरा 36	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत
2	पैरा 12(ढ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 20(10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001

1	पैरा 21 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
2	पैरा 22 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
3	पैरा 78 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
4	पैरा 79 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
5	पैरा 80 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
6	पैरा 81 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत